



Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:41460-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5446 वर्ष 2026

रोहित कुमार याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और अन्य

..... प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : बृजेश कुमार पाण्डेय, राजेश्वर प्रसाद,
रमा शंकर

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. सुना।

2. इस याचिका में निम्नलिखित मुख्य राहतों की मांग की गई है:-

"क. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उनके कानूनी कर्तव्य का पालन करने और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014)2 एससीसी 1 के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को याचिकाकर्ता के दिनांक 20.08.2026 और 06.09.2026 के आवेदन को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्वीकार करने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 और 30 के तहत, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन अधिनियम के अनुच्छेद 97 के साथ पढ़े जाने पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दिनांक 30.05.2026 को एक आवेदन/प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एससीसी 1 में दिए गए फैसले में कहा है कि यदि आवेदन में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता है और यदि वे इस तरह की जिम्मेदारी से बचते हैं, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161-ए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए या विभागीय कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा वसीम हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अन्य बनाम (2021) 2 एडीजे 86 मामले में दिए गए फैसले में उल्लिखित मामले में यह कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी (उपरोक्त) में दिए गए कानून पर विचार करने के बाद, जिसमें इस न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की थी कि शिकायतकर्ता को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता या धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक उपाय प्राप्त हैं, उक्त निर्णय के प्रस्तर-45 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“45. अंत में, उपरोक्त चर्चा और विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को त्वरित संदर्भ और सुविधा के लिए नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:-

(1) धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका शिकायतकर्ता/पीड़ित को धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ न उठाने के कारण अस्वीकार की जा सकती है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय के व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई और अन्य, (1998) 8 एससीसी 1 के निर्णय में उल्लिखित चार अपवाद शिकायतकर्ता/पीड़ित के बचाव में न आएं।

(2) सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (2014) 2 एससीसी 1 के मामले में दिया गया निर्णय धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

154(3), 156(3), 190 और 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत, पुलिस को वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका के हकदार होने के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

(3) संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना देने के बाद, यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, तो पुलिस अधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका दायर करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) प्रस्तावित आरोपी, जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना दी गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश याचिका जारी करने हेतु याचिका में पक्षकार होना आवश्यक नहीं है।”

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के समान है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के समान है, न्यायालय उपरोक्त उद्धृत मुख्य राहतों के लिए प्रस्तुत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, और तदनुसार इसे याचिकाकर्ता को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाता है कि यदि याचिकाकर्ता प्राथमिकी दर्ज न किए जाने से असंतुष्ट है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज करने का उचित उपाय अपना सकता है।

7. यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

18 जून, 2026

केकेवी/

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।